न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./38/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/75

1. कैलाश पुत्र श्री धन्नालाल जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. काना पुत्र श्री धन्नालाल जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता पत्नि बालू जाट जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. लाभू पुत्र नाहरा रावत जाति रावत निवासी उदयगढ़खेड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–30.05.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता संख्या 139 में दर्ज खसरा संख्या 1011/7634 रकबा 0.12, खसरा संख्या 1013 रकबा 0.50, खसरा संख्या 1014 रकबा 0.10, खसरा संख्या 1018 रकबा 0.04 और खसरा संख्या 1019 रकबा 0.18 कुल किता 05 कुल रकबा 0.94 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01 तथा 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब सरकार पेश करते हुए, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजीयात खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner